

मुख्यमंत्री संबल (नया सवेरा) योजना के लिये विद्यार्थियों के राशन कार्ड में लिखित नाम में से किसी भी सदस्य का जीवित संबल कार्ड होना अनिवार्य है। इस योजना के साथ अन्य किसी योजना का लाभ प्रदाय नहीं किया जायेगा।